न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 05/2024 दायर दिनांकः 05.12.2024

उनवान

1. कमकुबाई उर्फ कंकूबाई आयु 63 वर्ष पुत्री कान्हा पत्नि रामगोपाल जाति रेगर निवासी मोठपुर तहसील अटरू हाल निवासी नयापुरा रेगर बस्ती बारां जिला बारां (राज०)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 24.11.2025

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार क्षेत्र मोठपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 257 के ख0नं0 2370/3105 रकबा 1.10 है0 किता 1 रकबा 1.10 हैं० आराजी प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थिया का गलत नाम कंकूबाई पुत्री कान्हा दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थिया का नाम कंकूबाई पुत्री कान्हा दर्ज है तथा जो प्रार्थिया का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम कमकुबाई पुत्री कान्हा है। प्रार्थिया के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फोती इन्तकाल खुलवाते समय प्रार्थिया के परिवार ने प्रार्थिया का बोलता नाम कंकूबाई पुत्री कान्हा लिखवा दिया गया। जिससे प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे कंकूबाई पुत्री कान्हा दर्ज हो गया। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, तथा अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थिया का नाम कमकुबाई पुत्री कान्हा है। इसलिए प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन भिन्न नाम होने से प्रार्थिया को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने मे कई प्रकार की समस्याओ

का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम कंकूबाई पुत्री कान्हा के स्थान पर कमकुबाई पुत्री कान्हा दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायलय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 15.12.2023 को प्रार्थिया द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थिया द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरूश्त करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम कंकूबाई पुत्री कान्हा के स्थान पर कमकुबाई पुत्री कान्हा दुरुस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक / राजस्व / 2025 / 3216 दिनांक 09.10.2025 से रिपोर्ट पेश की गई।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 कमकुबाई उर्फ कंकूबाई पुत्री कान्हा पत्नी रामगोपाल जाति रेगर निवासी मोठपुर तहसील अटरू हाल निवासी नयापुरा रेगर बस्ती बारां व Pw2 केला बाई पुत्री कान्हा पत्नी हिरालाल जाति रेगर निवासी मोठपुर तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थिया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोठपुर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 257, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोठपुर जमाबन्दी सम्वत 2065–2072 खाता संख्या 71, सदस्य नगरपरिषद बारां प्रमाण पत्र दिनांक 24 / 01 / 2024, बैंक पासबुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, परिवार राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी ग्राम व माल मोठपुर जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 257 में सहखातेदार प्रार्थीया की सगी बहिन केला बाई ने भी कंकूबाई का सही नाम कमकुबाई होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर ग्राम एवं माल मोठपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 257 के ख0नं0 2370/3105 का रकबा 1.10 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.10 है0 आराजी में खातेदार कंकूबाई पुत्री कान्हा के स्थान पर कमकु बाई उर्फ कंकू बाई पुत्री कान्हा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल मोठपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 257 के ख0नं0 2370/3105 का रकबा 1.10 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.10 है0 आराजी में खातेदार कंकूबाई पुत्री कान्हा के स्थान पर कमकु बाई उर्फ कंकू बाई पुत्री कान्हा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार पीपलीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां